

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

मार्ग के पूर्ण वन भूमि को प्रत्यावर्तन के क्रम में

कार्य का नाम – सड़क निर्माण कार्य कोटा धरनावदा कि.मी. 111/0 से 157/525

प्रमाणित किया जाता है कि कोटा धरनावदा मार्ग संख्या 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है। जो लगभग सन। 1975 में गेवल सड़क बनी थी जिसका डामरीकरण का कार्य 1984-85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है व स्टेट हाइवे है। इस मार्ग पर थर्मल प्लांट होने के कारण काफी आवागमन रहता है। उक्त सड़क न्यूनतम वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। क्योंकि यह सड़क 1975 से गेवल सड़क हैं अतः उक्त मार्ग में पड़ने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। अतः प्रत्यावर्तन की स्वीकृति देने की कृपा करें। इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है। तथा इस मार्ग के दांयी ओर छबड़ा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोट, पाली , फलिया फाटक होते हुए धरनावदा पहुँचा जा सकता है। इसके लिये करीब 17 कि.मी. अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी तथा उक्त मार्ग में 17.28 हेक्टर वन भूमि भी आयेगी। तथा यह स्टेट हाइवे होने के कारण यह Strengthening का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी। अतः अन्य विकल्प उचित नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।



अधिशाषी अभियंता

सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा